अध्याय I

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

अध्याय-I

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) का राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान सरकार (जीओआर) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के रूप में सन्दर्भित इसके व्यवसायिक उपक्रमों के माध्यम से वाणिज्यिक गतिविधियाँ करती है, जिनका स्वामित्व, प्रबन्धन एवं नियंत्रण वृहद् स्तर पर जनता की ओर से राज्य द्वारा किया जाता है। वे मौलिक रूप से सांविधिक निगमों एवं सरकारी कम्पनियों में वर्गीकृत हैं। सांविधिक निगम ऐसे सार्वजनिक उपक्रम हैं जो कि विधान मण्डल के विशेष अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आते हैं। अधिनियम, शक्तियों एवं कर्तव्यों, कार्मिकों को शासित करने हेतु नियमों व विनियमों तथा सरकार के साथ निगम के संबंधों को परिभाषित करते हैं। सरकारी कम्पनियों से सदंर्भ ऐसी कम्पनियों से है, जिसमें कि प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग सरकार (रों) द्वारा धारित किया गया हो। इसमें सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी शामिल होती है। साथ ही, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-बी के अनुसार एक कम्पनी, जिसकी प्रदत्त पूँजी का 51 प्रतिशत भाग, सरकार (रों), सरकारी कम्पनियों एवं निगमों जिनका नियंत्रण सरकार के पास है, के किसी संयोजन के पास होता है, को सरकारी कम्पनी की तरह (मानित सरकारी कम्पनी) माना जाता है।

1.2 पीएसयूज अर्थव्यवस्था के पाँच प्रमुख क्षेत्रों यथा ऊर्जा, वित्त, सेवा, ढांचागत एवं अन्य (निर्माण, कृषि व समवर्गी सम्मिलित हैं) में क्रियाशील हैं। 31 मार्च 2012 को राज्य पीएसयूज ने लगभग 0.87 लाख[1] कार्मिकों को रोजगार प्रदान किया हुआ था। पीएसयूज का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया हुआ हैः

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियाँ[2]		सांविधिक निगम		कुल	निवेश[3] (₹ करोड़ में)
	कार्यरत	अकार्यरत[4]	कार्यरत	अकार्यरत		
ऊर्जा	17	-	-	-	17	55429.60
वित्त	2	-	1	-	3	818.06
सेवा	12	-	2	-	14	1484.58
ढांचागत	3	-	-	-	3	720.25
अन्य[5]	7	3	-	-	10	1271.54
योग	**41**	**3**	**3**	**-**	**47**	**59724.03**

1 पीएसयूज द्वारा प्रदान की गयी नवीनतम सूचना के अनुसार।

2 इनमें अनुबन्ध-1 के भाग-क में क्र.सं. क-29, 30, 32 व 40 पर वर्णित चार 619-बी कम्पनियाँ एवं क्र.सं. क-36 पर वर्णित एक कम्पनी धारा-25 के तहत पंजीकृत है।

3 निवेश में पूँजी एवं दीर्घ कालिक ऋण सम्मिलित है।

4 अकार्यरत पीएसयूज वे हैं जिन्होंने अपना क्रिया-कलाप बन्द कर दिया है।

5 अन्य में निर्माण, कृषि व समवर्गी एवं विविध क्षेत्र सम्मिलित हैं।

31 मार्च 2012 को 47 पीएसयूज थे जिसमें से 44 कार्यरत एवं तीन अकार्यरत थे। इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2011-12 के दौरान दो[6] नये पीएसयूज स्थापित किये गये थे।

1.3 31 मार्च 2007 एवं 31 मार्च 2012 के अन्त में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश एवं उनकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट में दर्शाई गई है। पाँच वर्षों के दौरान पीएसयूज में किये गये निवेश का प्रभुत्व मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र पर था, जिसकी अंश प्रतिशतता 2006-07 में 89.66 से बढ़कर 2011-12 में 92.81 हो गई।

(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल निवेश की प्रतिशतता दर्शाते हैं)

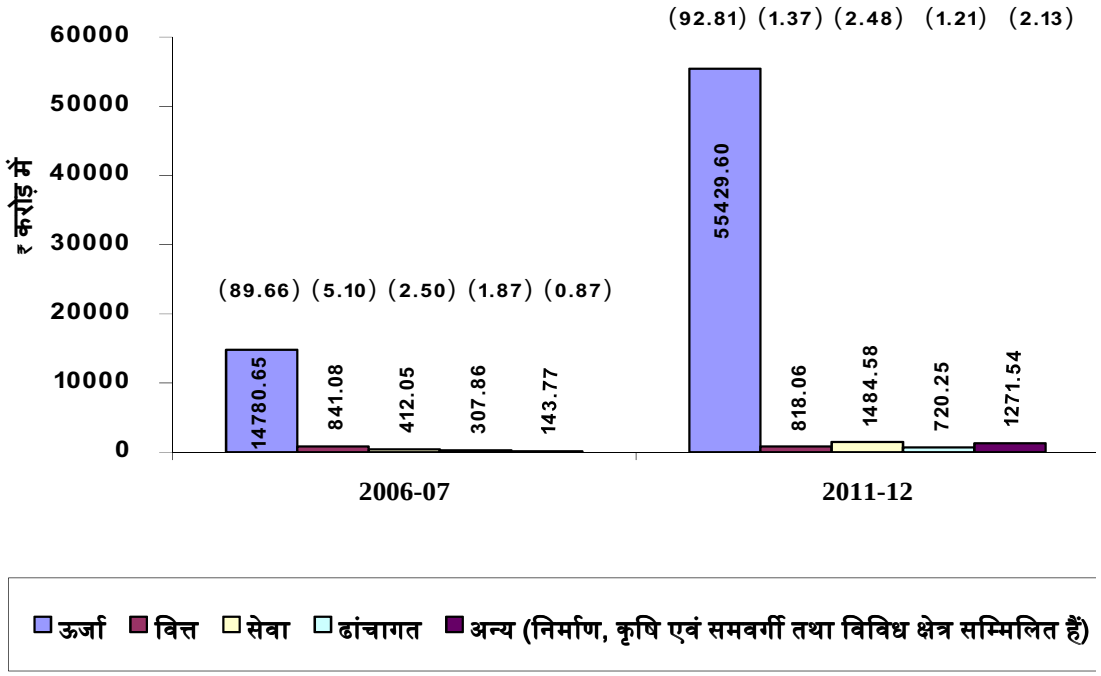

जवाबदेयता संरचना

1.4 सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर यथा 30 सितम्बर तक अन्तिम रूप दिया जाना आवश्यक होता है।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.5 राज्य सरकार की कम्पनियों (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित किया गया है) के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जो कि भारत के

6 मई 2011 में राजस्थान मेडीकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं नवम्बर 2011 में राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड।

नियत्रंक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उनका लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विभिन्न हितधारियों को प्रस्तुत किया जाता है।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा विभिन्न नमूनों, जैसा कि उनसे सम्बंधित विधान में प्रदत्त है, को अपनाती है। इस प्रकार,

- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है।
- सरकार द्वारा सीएजी की सलाह पर नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम हेतु लेखापरीक्षक है एवं
- निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदित पैनल में से नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक राजस्थान वित्त निगम के मामले में लेखापरीक्षक हैं।

सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा

1.7 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा भी की जाती है। सीएजी द्वारा दो सांविधिक निगमों यथा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं राजस्थान वित्त निगम के संबंध में भी पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

विधान मण्डल एवं सरकार की भूमिका

1.8 राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन पीएसयूज के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखती है। प्रमुख कार्यकारी एवं संचालक मण्डल हेतु निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इन पीएसयूज के लेखों की जाँच राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा भी की जाती है।

1.9 राज्य विधान मण्डल भी पीएसयूज में किये गये सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोगिता की निगरानी करता है। इसके लिये राज्य सरकार की कम्पनियों के सबंध में वार्षिक प्रतिवेदन, सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन व सीएजी की टिप्पणियों के साथ एवं सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन,जैसा कि उनसे संबंधित अधिनियमों में वर्णित है, विधान मण्डल के समक्ष रखे जाते है। सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के अन्तर्गत सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं।

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी

1.10 इन पीएसयूज में राजस्थान सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी मुख्यतः तीन प्रकार से हैः

- अंशपूँजी एवं ऋण– अंशपूँजी योगदान के अतिरिक्त राजस्थान सरकार पीएसयूज को समय-समय पर ऋण के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- विशेष वित्तीय सहायता- जब-तब आवश्यक हो, अनुदान व अर्थ-साहाय्य के माध्यम से राजस्थान सरकार पीएसयूज को बजट से सहायता प्रदान करती है।
- गारण्टियाँ- पीएसयूज द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों एवं ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु राजस्थान सरकार गारण्टियाँ भी देती है।

1.11 31 मार्च 2012 को 47 पीएसयूज (619 बी-कम्पनियों सहित) में नीचे दिये गये विवरणानुसार कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 59724.03 करोड़ था।

(₹ करोड़ में)

पीएसयूज के प्रकार	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम			योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यरत	13400.92	44760.58	58161.50	337.99	1212.35	1550.34	59711.84
अकार्यरत	8.97	3.22	12.19	-	-	-	12.19
योग	**13409.89**	**44763.80**	**58173.69**	**337.99**	**1212.35**	**1550.34**	**59724.03**

राज्य के पीएसयूज में राजकीय निवेश की संक्षिप्त स्थिति **अनुबन्ध-1** में दी गयी है।

1.12 31 मार्च 2012 को राज्य के पीएसयूज में कुल निवेश का 99.98 प्रतिशत कार्यरत पीएसयूज में एवं शेष 0.02 प्रतिशत अकार्यरत पीएसयूज में था। इसका 23.02 प्रतिशत हिस्सा पूँजी एवं 76.98 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण थे। निवेश वर्ष 2006-07 में ₹ 16485.41 करोड़ से 262.28 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 59724.03 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है।

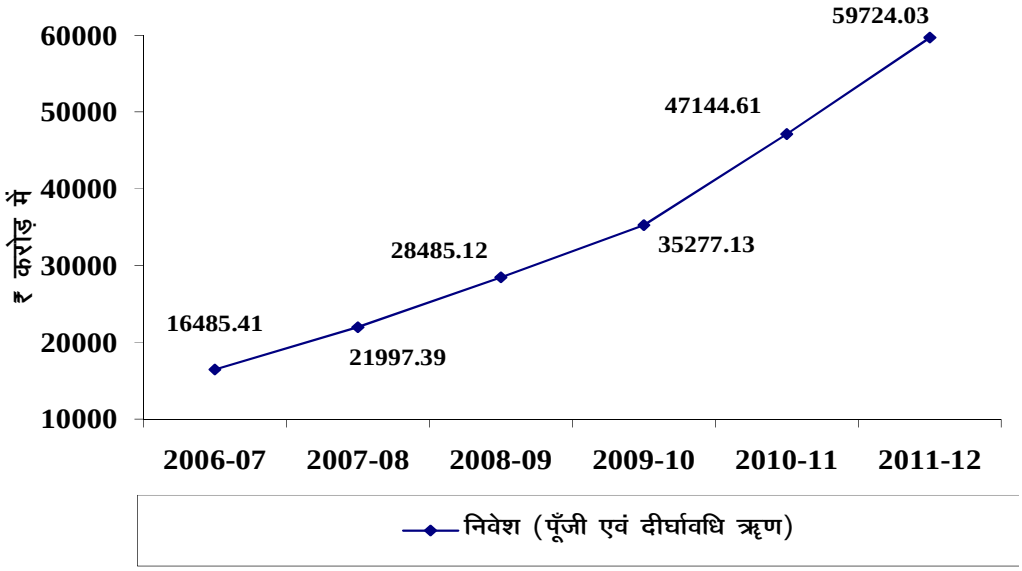

1.13 2007-2012 के दौरान पूँजी निवेश के साथ-साथ दीर्घावधि ऋण क्रमशः ₹ 8639.89 करोड़ एवं ₹ 34598.73 करोड़ से बढ़ गये। इस अवधि के दौरान निवेश में कुल समग्र वृद्धि ₹ 43238.62 करोड़ थी।

हानियों के कारण पूँजी का क्षरण

1.14 राज्य पीएसयूज के अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार, पूँजी निवेश ₹ 10133.59 करोड़ था एवं इसके समक्ष संचित हानियाँ ₹ 1590.48 करोड़ थी। इससे राज्य

पीएसयूज की पूँजी का वृहद् स्तर पर क्षरण हुआ। राज्य पीएसयूज की वर्तमान निवल सम्पत्ति[7] मात्र ₹ 8543.11 करोड़ थी।

पीएसयूज को बजटीय सहायता

1.15 राजस्थान सरकार वार्षिक बजट के द्वारा पीएसयूज को विभिन्न प्रकार से अतिरिक्त निवेश एवं सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्थान सरकार ने 18 पीएसयूज को ₹ 10327.42 करोड़ की बजट सहायता प्रदान की। पीएसयूज के सबंध में बजट से पूँजी, ऋण व अनुदान/अर्थ-साहाय्य के पेटे जावक के साथ ही ऋणों का अपलेखन, ऋणों का पूँजी में परिवर्तन एवं ब्याज अधित्याग के माध्यम से सहायता का विवरण **अनुबन्ध-3** में दिया गया है। 2011-12 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैः

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण[8]	2009-10		2010-11		2011-12	
		पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि
1.	अंश पूँजी की जावक	10	1470.25	12	1599.89	11	1725.09
2.	दिये गये ऋण	7	3341.53	2	0.39	8	5552.21
3.	प्राप्त अनुदान/अर्थ-साहाय्य	14	968.33	14	1946.54	14	3050.12
4.	कुल जावक (1+2+3)	18[9]	5780.11	20[9]	3546.82	18[9]	10327.42
5.	अपलिखित ऋण पुर्नभुगतान	-	-	-	-	1	0.10
6.	ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	1	23.55	-	-	4	1086.25
7.	निर्गमित गारण्टियाँ	5	20767.42	6	24781.66	6	17349.50
8.	गारण्टी प्रतिबद्धता	5	32099.14	8	48088.19	7	57559.34

1.16 2011-12 को समाप्त छः वर्षों में पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के संबंध में बजट जावक का विवरण नीचे दिये गये ग्राफ में दिया गया हैः

7 निवल सम्पत्ति प्रतिनिधित्व करती है- प्रदत्त पूँजी जोड़ें मुक्त आरक्षित निधि घटायें संचित हानियाँ।

8 यह राशि केवल बजट जावक को दर्शाती है।

9 यह संख्या ऐसी कम्पनियों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने राज्य बजट से जावक एक या एक से अधिक मदों में प्राप्त की है अर्थात् पूँजी, ऋण, अनुदान/अर्थ-साहाय्य।

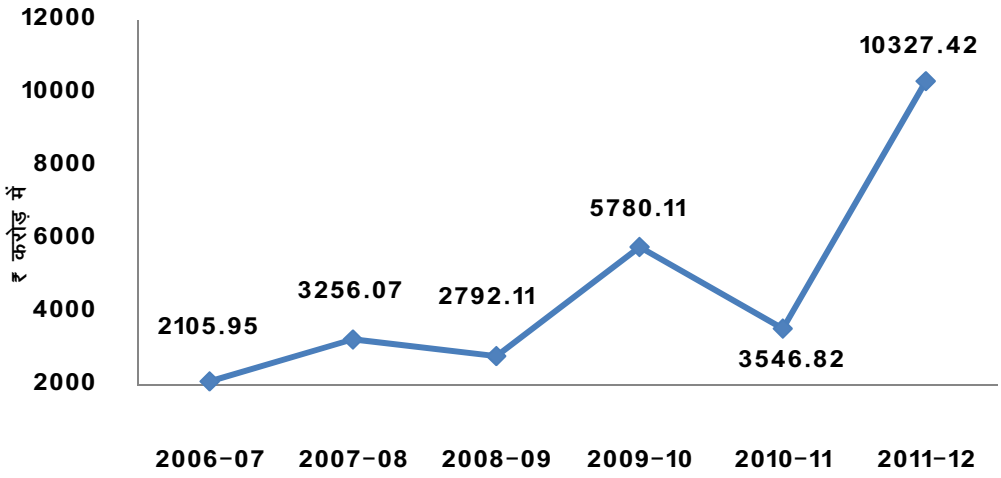

1.17 उपर्युक्त इंगित करता है कि राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के रूप में बजट सहायता वर्ष 2006-07 में ₹ 2105.95 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 10327.42 करोड़ हो गई। 2011-12 के दौरान राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य होटल्स निगम के संबंध में ऋणों एवं ब्याज/शास्ति ब्याज के ₹ 0.10 करोड़ का परित्याग किया एवं चार पीसएयूज[10] के संबंध में ₹ 1086.25 करोड़ के ऋणों का पूँजी में परिवर्तन किया। बजट जावक का मुख्य लाभार्थी ऊर्जा क्षेत्र था जिसने अंश पूँजी जावक (₹ 1725.09 करोड़) का 81.43 प्रतिशत (₹ 1404.71 करोड़) एवं कुल बजटीय जावक (₹ 10327.42 करोड़) का 92.67 प्रतिशत (₹ 9570.90 करोड़) प्राप्त किया।

ऋणों हेतु गारण्टियाँ एवं अदत्त गारण्टी कमीशन

1.18 सरकार निम्नलिखित दरों से गारण्टी कमीशन प्रभारित करती है:

- पीएसयूज द्वारा लिये गये ऋणों के मामले में एक प्रतिशत प्रति वर्ष,
- बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज को स्वीकृत किये गये अवधि ऋणों हेतु 0.1 प्रतिशत प्रति वर्ष,
- ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा निर्गमित बाण्डस पर 0.01 प्रतिशत प्रति वर्ष।

वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने ₹ 399.95 करोड़ के बाण्डस निर्गमित किये। गारण्टी कमीशन का भुगतान त्रैमासिक देय था जिसमें विफल होने पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से शास्ति ब्याज लागू होगा। अदत्त गारण्टी प्रतिबद्धताओं में वृद्धि का रूझान था जो कि 2006-07 में ₹ 13139.82 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 57559.34 करोड़ हो गई व 338.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2011-12 के दौरान पीएसयूज द्वारा दत्त/देय गारण्टी कमीशन ₹ 150.57 करोड़ था।

10 राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

पीएसयूज में सरकार की हिस्सेदारी की उचित जवाबदेयता सुनिश्चित करने में विफलता

1.19 जैसा कि ऊपर वर्णित है राजस्थान सरकार की पीएसयूज में विशाल वित्तीय हिस्सेदारी है। तथापि हमने पाया कि पीएसयूज/सरकार ने इस निवेश की उचित जवाबदेयता सुनिश्चित नहीं की थी। मुख्यतः दो क्षेत्रों में चूक थीः

- निवेश के विशुद्ध आकड़ें प्रदान करने में;
- वार्षिक लेखे तैयार करने एवं उनकी लेखापरीक्षा करवाने में;

यह चूकें, विधायी वित्तीय नियंत्रण पर विपरीत प्रभाव सहित व्यापक स्तर पर परोक्ष प्रभाव रखती हैं।

पीएसयूज में निवेश के विशुद्ध आंकड़ों का अभाव

1.20 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा तैयार किये गये एवं सीएजी द्वारा प्रमाणित राजस्थान सरकार के वित्त लेखे पूँजी, ऋण एवं गारण्टियों के संबंध में पीएसयूज में सरकार की हिस्सेदारी को दर्शाते हैं। राज्य के पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार यह आँकड़े वित्त लेखों में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल खाने चाहिये। अन्तर के मामले में संबंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग द्वारा इनका शीघ्र समाधान किया जाना चाहिये। इस संबंध में 31 मार्च 2012 की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

मद के सबंध में बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
पूँजी	13365.92	13384.34	18.42
ऋण	2261.06	1798.33	462.73
गारण्टियाँ	57638.71	57559.34	79.37

1.21 17 पीएसयूज के सबंध में यह अन्तर पाया गया। वित्त लेखों के अनुसार एवं पीएसयूज के लेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं गारण्टी के संबंध में आँकड़ों के अन्तर के बारे में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के साथ समय-समय पर मामला उठाया गया। सरकार एवं पीएसयूज को अन्तर के समाधान के लिये समयबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाने चाहिये।

लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया

1.22 कम्पनियों/सांविधिक निगमों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर अन्तिम रूप दिया जाना चाहिये[11]। इस प्रकार 2011-12 के लेखों को 30 सितम्बर 2012 तक अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिये था। इस दिनांक तक केवल 24

11 कम्पनियों के मामले में कम्पनी अधिनियम की धारा 166, 210, 230, 619 व 619-बी एवं सांविधिक निगमों के मामले में संबंधित अधिनियम के प्रावधान।

पीएसयूज ने अपने लेखों को अंतिम रूप दिया था। इन पीएसयूज द्वारा 30 सितम्बर तक लेखों के अन्तिमीकरण की प्रगति को नीचे दर्शाया गया हैः

क्र. स.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या	28	29	37	42	44
2.	चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	26	25	27	46	33[12]
3.	पीएसयूज की संख्या जिनके चालू वर्ष के लिये लेखों को अंतिम रूप दिया गया	19	16	16	25	24
4.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या, जिनके लेखे बकाया हैं	9	13	21	17	20
5.	बकाया लेखों की संख्या	10	14	28	24	33
6.	चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	7	9	11	21	9
7.	औसत बकाया प्रति पीएसयू (5/1)	0.36	0.55	0.76	0.57	0.75
8.	बकाया की सीमा	एक से दो वर्ष	एक से दो वर्ष	एक से तीन वर्ष	एक से चार वर्ष	एक से पाँच वर्ष

1.23 उपर्युक्त में से 20 कार्यरत पीएसयूज के 33 लेखे 2007-08 से बकाया थे जिनमें से 15[13] कार्यरत पीएसयूज ने 2011-12 के दौरान एक भी लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया था। साथ ही, वर्ष 2010-11 के दौरान 21 बकाया लेखों को अंतिम रूप दिये जाने की तुलना में 2011-12 के दौरान पिछले वर्षों के केवल नौ लेखों को अंतिम रूप दिया गया था। यह इंगित करता है कि लेखों के अन्तिमीकरण की प्रगति खराब थी। प्रति पीएसयू बकाया 0.57 (2010-11 के दौरान) से बढ़कर 2011-12 के दौरान 0.75 हो गया था।

1.24 बकाया लेखों के साथ 20 कार्यरत पीएसयूज में से 11 पीएसयूज में राजस्थान सरकार ने ₹ 13586.41 करोड़ (पूँजीः ₹ 2324.44 करोड़, ऋणः ₹ 5551.91 करोड़, अर्थ-साहाय्यः ₹ 4623.71 करोड़ एवं अन्यः ₹ 1086.35 करोड़) की सहायता इन वर्षों के दौरान प्रदान की जिसका विवरण **अनुबन्ध-4** में दिया गया है।

सांविधिक निगमों द्वारा लेखों का अन्तिमीकरण

1.25 तीन सांविधिक निगमों ने 2011-12 के उनके नवीनतम लेखों को 30 सितम्बर 2012 तक अग्रेषित किया। इन सभी तीन सांविधिक निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा प्रगति पर थी (सितम्बर 2012)।

12 पिंक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड व लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड जनवरी 2011 में समामेलित हुई थी एवं इनके 6 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2011 की अवधि हेतु वार्षिक लेखे पिछले वर्ष में बकाया दर्शाये गये थे। इन कम्पनियों ने 6 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि के वार्षिक लेखे प्रस्तुत कर दिये हैं।

13 अनुबन्ध 2 के क्र. सं. क-3,12 19, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 40, एवं 41.

1.26 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर), सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। यह प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने होते है। 2010-11 की अवधि हेतु इन सांविधिक निगमों के संबंध में एसएआर राज्य विधायिका में फरवरी से अप्रैल 2012 के दौरान प्रस्तुत[14] की गयी थी।

प्रशासनिक विभागों की विफलता

1.27 यह प्रशासनिक विभागों का दायित्व है कि वे इन उपक्रमों की गतिविधियों की समीक्षा करें एवं सुनिश्चित करें कि लेखे निर्धारित अवधि में अंतिम रूप दिये जाकर इन पीएसयूज द्वारा अंगीकृत किये गये हैं।

1.28 चूंकि लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया की स्थिति चिंताजनक थी, सीएजी ने मामले को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के समक्ष उठाया (सितम्बर 2011) एवं जवाबदेयता के बाध्यकरण को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी मुद्दों सहित विशेष व्यवस्थाएं करने का सुझाव दिया। जवाब में एमसीए ने एक योजना लागू की (नवम्बर 2011) जिसमें पिछले कई वर्षों में लेखों में बकाया वाले पीएसयूज को नवीनतम दो वर्षों के लेखों को अंतिम रूप देने एवं पाँच वर्षों में बकाया को समाप्त करने की अनुमति प्रदान की।

1.29 महालेखाकार/प्रधान महालेखाकार ने भी मुख्य सचिव/प्रशासनिक विभागों/पीएसयूज के प्रबन्धन, जिनके लेखे बकाया थे, को सम्बोधित किया (जनवरी/अक्टूबर 2012)। लेखों के बकाया के समापन की प्रगति पर अनुच्छेद 1.22 एवं 1.23 में चर्चा की गयी है।

लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव

1.30 30 सितम्बर तक लेखों का अन्तिमीकरण नहीं किया जाना कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

1.31 लेखों एवं उनकी तत्पश्चात् लेखापरीक्षा के अभाव में यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि निवेश एवं किये गये व्यय को उचित प्रकार से लेखांकित किया गया है एवं वे लक्ष्य, जिसके लिये निवेश किया गया, प्राप्त किया जा सका तथा इस प्रकार, सरकार का ऐसे पीएसयूज में किया गया निवेश राज्य विधायिका की जांच के दायरे से बाहर रहा।

1.32 साथ ही, लेखों के अन्तिमीकरण में देरी कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ धोखा एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणामित हो सकता है। उपर्युक्त बकाया की स्थिति को देखते हुये पीएसयूज का 2011-12 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान का आंकलन नहीं किया जा सका। तथापि, नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार राज्य जीडीपी में पीएसयूज का योगदान 8.81 प्रतिशत था। साथ ही, वर्ष 2011-12 के लिये इन पीएसयूज के संचालन के परिणाम एवं राजकोष में उनके योगदान को भी राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

---

14 राजस्थान वित्त निगम (27 मार्च 2012), राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (28 फरवरी 2012) एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (20 अप्रैल 2012)।

1.33 सरकार द्वारा निगरानी एवं समय पर लेखों के अन्तिमीकरण के साथ बकाया के समापन पर विशेष ध्यान तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिये।

पीएसयूज का निष्पादन

निष्पादन आंकलन में समस्यायें

1.34 लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया को देखते हुये पीएसयूज का वास्तविक निष्पादन का आंकलन नहीं किया जा सका था। इस प्रकार पीएसयूज का निष्पादन का आंकलन उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों के आधार पर किया गया था। वर्ष के दौरान एक भी लेखे के अन्तिमीकरण के अभाव में प्रमुख पीएसयूज यथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निष्पादन पर टिप्पणी नहीं की जा सकी।

लेखों के अन्तिमीकरण पर आधारित निष्पादन

1.35 पीएसयूज के वित्तीय परिणाम, सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यशीलता परिणाम क्रमशः **अनुबन्ध 2, 5 एवं 6** में वर्णित हैं। पीएसयूज के टर्नओवर का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात, राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों के स्तर को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक की अवधि के लिये कार्यरत पीएसयूज के टर्नओवर एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दर्शाती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
टर्नओवर[15]	14445.07	16644.45	17510.67	25275.63	30152.24	32440.58
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद[16]	171042.73	194822.14	230949.32	263258.01	323682.21	368319.52
टर्नओवर का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पर प्रतिशतता	8.45	8.54	7.58	9.60	9.32	8.81

पीएसयूज के टर्नओवर ने पूर्व वर्षों की तुलना में लगातार वृद्धि दर्ज की। 2007-12 की अवधि में टर्नओवर में वृद्धि की प्रतिशतता 5.20 एवं 44.34 के मध्य विचरित थी जबकि 2007-12 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की प्रतिशतता 13.79 एवं 22.95 के मध्य विचरित थी। गत पाँच वर्षों में पीएसयूज के टर्नओवर में 17.56 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई जो की राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की मिश्रित वार्षिक वृद्धि 16.58 प्रतिशत से अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पीएसयूज के टर्नओवर का अंश वर्ष 2006-07 में 8.45 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 8.81 प्रतिशत हो गया था।

15 टर्नओवर अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार।

16 राज्य का सकल घरेलू उत्पाद राज्य सरकार की आर्थिक समीक्षा 2011-12 के अनुसार है।

1.36 वर्ष 2006-07 से वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य में कार्यरत पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ[17](उठायी गई हानियाँ) का विवरण नीचे बार चार्ट में दिया गया है।

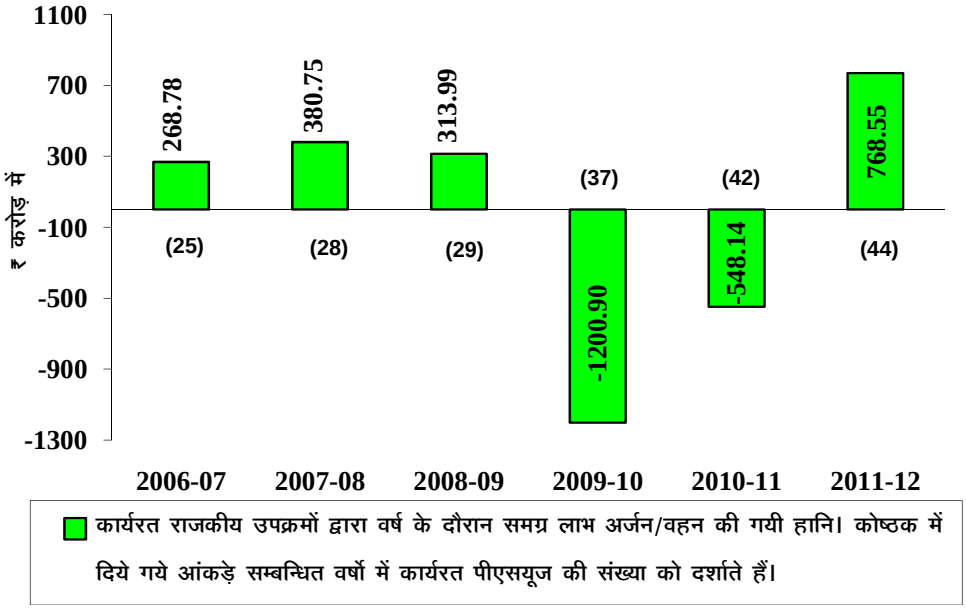

कार्यरत पीएसयूज ने 2010-11 में ₹ 548.14 करोड़ की हानि के समक्ष 2011-12 में ₹ 768.55 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 44 पीएसयूज के अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार, 14[18] पीएसयूज ने ₹ 1026.90 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 21[18] पीएसयूज ने ₹ 258.35 करोड़ की हानि वहन की, जबकि तीन विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) ने अपने लेखे 'न लाभ न हानि आधार' पर तैयार किये थे। शेष रहे छः पीएसयूज में से, दो[19] पीएसयूज ने लाभ-हानि खाता तैयार नहीं किया था, तीन[20] पीएसयूज को अभी तक प्रारंम्भ से उनके प्रथम लेखे प्रस्तुत करने हैं एवं एक[21] पीएसयू ने कोई लाभ/हानि नहीं दर्शाई थी। साथ ही, 44 पीएसयूज में से 16[22] पीएसयूज, जो वर्ष 2006-07 से 2011-12 में समामेलित हुये थे, ने 2011-12 तक अपनी वाणिज्यिक गतिविधियाँ आरम्भ नहीं की थी।

1.37 उनके अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 463.48 करोड़) एवं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (₹ 403.97 करोड़) लाभ के मुख्य अंशदाता थे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 130.89 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

---

17 आंकड़े संबंधित वर्षों के अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार हैं।

18 उन पीएसयूज को शामिल करते हुये जिन्होंने अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ आरम्भ नहीं की थी परन्तु कुछ सीमा तक लाभ/हानि दर्शाया था।

19 छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड एवं धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड।

20 कोटा शहर परिवहन सेवा लिमिटेड, राजस्थान मेडीकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड।

21 राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन।

22 अनुबन्ध-2 के क्र.सं. क-11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 35 व 37 पर वर्णित पीएसयूज।

1.38 ऊर्जा क्षेत्र के तीन पीएसयूज यथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जो कि वर्ष 2000-01 में समामेलित हुये थे, ने अपने वर्ष 2009-10 तक के लेखे 'न लाभ न हानि आधार' पर तैयार करके राजस्व अन्तर को राज्य सरकार से वसूलनीय दर्शाया था।

हानियों के कारण

1.39 पीएसयूज की हानियाँ मुख्यतः वित्तीय प्रबंधन, नियोजन, परियोजना के कार्यान्वयन, क्रियाकलापों के संचालन एवं निगरानी में कमियों के कारण हैं। सीएजी के नवीनतम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के पीएसयूज ने ₹ 138.11 करोड़ की हानि उठायी जो कि बेहतर प्रबंधन द्वारा नियंत्रण योग्य थी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्ष वार विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	योग
शुद्ध लाभ (हानि)	(1200.90)	(548.14)	768.55	(980.49)
सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार नियंत्रण योग्य हानियाँ	459.16	111.34	138.11	708.61
निष्फल निवेश	शून्य	120.55	शून्य	120.55

1.40 सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित उपर्युक्त हानियाँ पीएसयूज के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं। वास्तविक नियंत्रण योग्य हानियाँ इससे कहीं अधिक हो सकती हैं। उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि बेहतर प्रबंधन के द्वारा लाभों में सारभूत वृद्धि की जा सकती है। पीएसयूज अपनी भूमिका को कुशलतापूर्वक निभा सकते हैं यदि वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हों। उपर्युक्त स्थिति पीएसयूज की कार्यप्रणाली में व्यावसायिकता एवं जवाबदेही की आवश्यकता को इंगित करती है।

1.41 राज्य की पीएसयूज के कुछ अन्य मुख्य मापदण्ड नीचे दिये गये हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण[23]	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	6.24	6.00	5.82	2.89	5.64	8.09
ऋण	11377.42	15808.26	20955.24	26437.80	36260.08	45976.15
टर्नओवर[24]	14445.07	16644. 45	17510.67	25275.63	30152.24	32440.58
ऋण /टर्नओवर अनुपात	0.79:1	0.95:1	1.20:1	1.05:1	1.20:1	1.42:1
ब्याज अदायगी[24]	1375.40	1338.95	1599.84	2374.73	3551.29	3681.11
संचित लाभ (हानियाँ)	(63.89)	117.98	364.89	(1343.22)	(2066.69)	(1590.48)

23 वर्ष 2011-12 की स्थिति, दिनांक 30 सितम्बर 2012 तक उपलब्ध करवायी गयी नवीनतम सूचनाओं के अनुसार है।

24 अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार।

1.42 पिछले पाँच वर्षों के दौरान पीएसयूज के टर्नओवर ने 17.56 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज की। तथापि ऋणों की मिश्रित वार्षिक वृद्धि 32.22 प्रतिशत थी जो यह इंगित करती है कि टर्नओवर की तुलना में ऋण अधिक तीव्र गति से बढ रहे थे। ऋणों के टर्नओवर से अनुपात में 2006-07 में 0.79:1 से 2011-12 में 1.42:1 की बढ़ोतरी पीएसयूज के ऋणों पर निर्भरता में वृद्धि को इंगित करती है।

1.43 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति का निर्धारण किया (सितम्बर 2004) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जन करने वाले पीएसयूज को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गयी प्रदत्त पूँजी का न्यूनतम दस प्रतिशत अथवा कर घटाने के पश्चात् लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का प्रतिफल भुगतान किया जाना आवश्यक है। अंतिम रूप दिये गये उनके नवीनतम लेखों के अनुसार, 14 पीएसयूज ने कुल मिलाकर ₹ 1026.90 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं सात[25] पीएसयूज ने ₹ 90.69 करोड़ का लाभांश घोषित किया, जो कि राज्य सरकार द्वारा सभी पीएसयूज में योगदान की गयी अंश पूँजी का 0.68 प्रतिशत था। लाभांश घोषित करने वाले सात पीएसयूज में से, चार[26] पीएसयूज ने निर्धारित से अधिक लाभांश घोषित किया जबकि राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने सरकार की लाभांश नीति में निर्धारित लाभांश से कम लाभांश घोषित किया। सात[27] पीएसयूज, जिन्होंने लाभ अर्जित किया, ने संचित हानियों अथवा अल्प लाभ के कारण लाभांश घोषित नहीं किया था।

अकार्यरत पीएसयूज

1.44 31 मार्च 2012 को तीन अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियाँ) थे जिनमें पूँजी (₹ 8.97 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 3.22 करोड़) सहित कुल निवेश ₹ 12.19 करोड़ था। राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के दो वर्ष के लेखे बकाया थे।

1.45 पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत कम्पनियों की संख्या नीचे दी गयी है।

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
अकार्यरत कम्पनियों की संख्या	4	4	4	3	3

1.46 इन अकार्यरत कम्पनियों में से कोई भी समापन के अन्तर्गत नहीं थी। सरकार तीन अकार्यरत पीएसयूज को बन्द करने के संबंध में निर्णय ले सकती है।

25 अनुबन्ध-2 के क्र.स. क-1, 4, 5, 8, 9, 10, एवं ब-3 पर वर्णित पीएसयूज।

26 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटिड एवं राजस्थान भण्डार व्यवस्था निगम।

27 अनुबन्ध-2 के क्र.सं. क-6, 24, 26, 29, 33, 40 एवं ब-1 पर वर्णित पीएसयूज।

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा

1.47 वर्ष 2011-12 में (30 सितम्बर 2012 तक) 26 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 30[28] लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से 15[29] कम्पनियों के 16 लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिये चयनित किया गया था। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इंगित करते हैं कि लेखों के रख-रखाव की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12[30]	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	2	0.91	5	27.97	4	496.05
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	2	0.99	1	62.24
3.	हानि में वृद्धि	4	3811.29	10	11669.26	4	8.01
4.	हानि में कमी	-	-	3	37.21	1	0.68
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	-	-	1	0.30	10	29.25
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	1	-	-	-	4	1293.47

1.48 वर्ष 2011-12 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 17 लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र दिये एवं एक लेखे पर अस्वीकृति (जिसका अर्थ है कि लेखापरीक्षक लेखों पर धारणा बनाने में असमर्थ है) दी। पीएसयूज लेखांकन मानकों (एएस) की अनुपालना में कमजोर रहे, चूंकि 10 लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इंगित अनुपालना नहीं करने के 34 मामले थे।

1.49 कम्पनियों के लेखों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैः

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (2010-11)

- कम्पनी की लिग्नाईट खदानों की परित्याग लागत के दायित्व का प्रावधान नहीं किये जाने के कारण 'खनन व अन्य परिचालन व्यय' ₹ 11.62 करोड़ से कम दर्शाये गये थे परिणामस्वरूप, 'चालू दायित्व एवं प्रावधान' कम दर्शाये गये थे एवं वर्ष का लाभ ₹ 11.62 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था।

---

28 राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड तथा राजस्थान नागरिक उडडयन निगम लिमिटेड ने 2010-11 एवं 2011-12 के अपने दो लेखे प्रस्तुत किये थे। लेकसिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड एवं पिंक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड ने जनवरी 2011 से मार्च 2012 की अवधि के लेखे प्रस्तुत किये थे।

29 राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दो लेखों का पूरक लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया था।

30 30 सितम्बर 2012 की स्थिति।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (2010-11)

- प्रसारण व एसएलडीसी प्रभारों से राजस्व एवं वसूल की गयी उत्पादन लागत भार घटक में डिस्काम्स द्वारा द्विपक्षीय समझौते के तहत कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों से क्रय की गयी विद्युत एवं ऊर्जा एक्सचेंज कारकों को सम्मिलित कर, जिसके हेतु कम्पनी राजस्थान विद्युत नियामक आयोग की अनुमति नहीं रखती थी, वास्तविक पारेषण क्षमता की गणना किये जाने के कारण ₹ 20.76 करोड़ से अधिक दर्शाये गये थे। इसके परिणामस्वरूप 'विविध देनदार' के साथ-साथ लाभ ₹ 20.76 करोड़ से अधिक दर्शाये गये थे।

- अनेक कार्यों को समाहित करने वाली ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं, जब तक कि योजना में परिकल्पित सभी कार्य पूर्ण नहीं थे, में प्राप्त ऋण की सम्पूर्ण राशि पर ब्याज का पूँजीकरण किये जाने के कारण 'शुद्ध ब्याज, वित्त प्रभार व लीज किराया' ₹ 47.34 करोड़ से कम दर्शाये गये थे। इसके परिणामस्वरूप शुद्ध लाभ ₹ 47.34 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (2011-12)

- प्रीमियम प्रभारों/लीज किराया व स्थिर भाटक के देरी से भुगतान पर ब्याज के पेटे खान व भूगर्भ विभाग द्वारा उठायी गयी ₹ 1.18 करोड़ की विभिन्न मांगों को 'अन्य व्यय' में सम्मिलित नहीं किया गया था। यद्यपि कम्पनी ने इस पर आपत्ति दर्ज नहीं की है एवं मांग का प्रावधान किये जाने के स्थान पर आकस्मिक दायित्व के रूप में दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप लाभ ₹ 1.18 करोड़ से अधिक दर्शाये गये थे।

1.50 इसी प्रकार, तीन कार्यरत सांविधिक निगमों ने अपने 2011-12 के लेखे (30 सितम्बर 2012 तक) महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से, एक सांविधिक निगम का एक लेखा, एकमात्र सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा से संबंधित था। शेष दो लेखों का पूरक लेखापरीक्षा के लिये चयन किया गया था। जैसा कि सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इंगित किया गया, लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं किये जाने के दो मामले थे। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	-	-	1	45.86
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	1	0.59	-	-
3.	हानि में वृद्धि	2	152.81	2	116.04	-	-
4.	सारवान तथ्यों का प्रकट नहीं किया जाना	-	-	1	78.25	-	-

1.51 वर्ष 2011-12 में प्राप्त दो लेखों में, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दोनों लेखों के लिये मर्यादित प्रमाण-पत्र दिये।

1.52 हाँलाकि वर्ष 2011-12 के लिये वार्षिक लेखों की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा 30 सितम्बर 2012 तक प्रगति पर थी, सांविधिक निगमों के वर्ष 2010-11 के लेखों के संबंध में, जिनको 2011-12 में अंतिम रूप दिया गया, कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैः

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (2010-11)

- 31.3.2009 तक प्राप्त वास्तविक मूल्याकंन के अनुसार ग्रेच्युटि व पेंशन योगदान के पेटे प्रावधान नहीं किये जाने के कारण 'निगम कर्मचारी कोष के लिये ग्रेच्युटि व पेंशन योगदान हेतु प्रावधान' ₹ 823.68 करोड़ से कम दर्शाये गये थे। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिये 'कल्याण व सेवा-निवृत्ति व्यय' के साथ-साथ शुद्ध हानियाँ इसी सीमा तक कम दर्शाई गई थी।
- साथ ही, हमारी टिप्पणियों (उपर्युक्त सहित) के कारण, वर्ष की शुद्ध हानि निगम द्वारा दर्शायी गयी ₹ 185.00 करोड़ के स्थान पर ₹ 1166.83 करोड़ आंकी गयी।

राजस्थान वित्त निगम (2010-11)

- सेवा शर्तों के अनुसार वर्ष 2010-11 के लिये कर्मचारियों को देय एक्स-ग्रेशिया भुगतान का प्रावधान नहीं किये जाने के कारण 'कार्मिक व्ययों' को ₹ 6.06 करोड़ से कम दर्शाया गया था इसके परिणामस्वरूप लाभों को इसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया था।
- हमारी व सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के कारण, वर्ष के लिये शुद्ध लाभ निगम द्वारा दर्शाये गये ₹ 24.47 करोड़ के स्थान पर ₹ 10.92 करोड़ आंका गया।

1.53 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3)(ए) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार, सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) को लेखापरीक्षा की गयी कम्पनियों के विभिन्न पहलुओं पर, जिनमें आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सम्मिलित है, एक विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा उन क्षेत्रों की पहचान करनी होती है जिनमें सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कार्यरत कम्पनियों के 30 वार्षिक लेखों, जो कि महालेखाकार को वर्ष 2011-12 में (30 सितम्बर 2012 तक) अग्रेषित

किये गये थे, पर की गयी मुख्य टिप्पणियों का उदाहरणार्थ संग्रह नीचे दिया गया हैः

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी टिप्पणियों की प्रकृति	कार्यरत कम्पनियों की संख्या जहाँ संस्तुति की गयी[31]	अनुबन्ध-2 के अनुसार कार्यरत कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति व आकार के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली का अभाव	9	क-2[32] 4, 5, 9, 17, 24, 34, व 39
2.	स्थायी सम्पत्तियों के संबंध में मात्रात्मक विवरण व स्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाने वाले उचित अभिलेखों के संधारण का अभाव	7	क-2[32], 4, 9, 17, 24 व 38
3.	वस्तुओं, स्थायी सम्पत्ति के क्रय एवं माल के विक्रय हेतु कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति व आकार के अनुरूप अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया	8	क-2[32], 4, 5, 24, 34, 38, व 39
4.	कम्पनी जिनकी पंजीयन अवधि पाँच वर्ष से कम नहीं है, की संचित हानियाँ वित्तीय वर्ष के अन्त में इसकी निवल सम्पत्ति के 50 प्रतिशत से कम नहीं है	7	क-2[32], 7, 24, 34, 38, व 39
5.	कम्पनी जिनकी पंजीयन अवधि पाँच वर्ष से कम नहीं है, ने वित्तीय वर्ष में नकद हानियाँ वहन की थी	5	क-2[32], 7, 34 व 38

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर वसूलियाँ

1.54 वर्ष 2011-12 में औचित्य लेखापरीक्षा के दौरान, विभिन्न पीएसयूज के प्रबंधन को ₹ 70.05 करोड़ की वसूलियाँ इंगित की गयी थी, जिसमें से ₹ 69.25 करोड़ की वसूलियाँ पीएसयूज द्वारा स्वीकार की गयी थी। वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 67.13 करोड़ की राशि वसूल की गयी थी।

पीएसयूज का विनिवेश, निजीकरण एवं पुर्नसरंचना

1.55 2011-12 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कोई विनिवेश अथवा निजीकरण नहीं हुआ।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.56 विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 धारा 17 के तहत राजस्थान में राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) का गठन जनवरी 2000 में राज्य में विद्युत दरों में विवेकीकरण, विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण से संबंधित मामलों में सलाह देने तथा

31 अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 तक पीएसयूज के प्रस्तुत वार्षिक लेखों पर।

32 वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 हेतु दो लेखे।

अधिकार पत्र जारी करने के उद्देश्य से किया गया था। वर्ष 2011-12 में आरईआरसी ने 22 आदेश (आठ वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं पर एवं 14 अन्य पर) जारी किये।

1.57 मार्च 2001 में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं राज्य सरकार के मध्य, ऊर्जा क्षेत्र में चिन्हित लक्ष्यों के साथ सुधार कार्यक्रम लागू किये जाने हेतु एक संयुक्त प्रतिबद्धता के लिये, एक मेमोरेन्डम ऑफ अण्डरस्टेडिंग (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया था। महत्वपूर्ण लक्ष्यों के संबंध में अभी तक प्राप्त की गयी प्रगति को नीचे दर्शाया गया है।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th colspan="2">सूचक</th><th colspan="5">मार्च 2012 तक उपलब्धियाँ</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1.</td><td rowspan="4">प्रसारण एवं वितरण हानियों में कमी</td><td rowspan="4">2008-09 तक 20 प्रतिशत</td><td colspan="3">कम्पनी का नाम</td><td colspan="2">प्रसारण एवं वितरण हानियां (प्रतिशत में)</td></tr>
<tr><td colspan="3">जेवीवीएनएल</td><td colspan="2">23.59</td></tr>
<tr><td colspan="3">एवीवीएनएल</td><td colspan="2">26.14</td></tr>
<tr><td colspan="3">जेडीवीवीएनएल</td><td colspan="2">23.70</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2.</td><td rowspan="4">सभी 11 केवी वितरण फीडरों में 100 प्रतिशत मीटरिंग</td><td rowspan="4">सितम्बर 2001</td><td>कम्पनी का नाम</td><td>11 केवी फीडर जिनके मीटर लगाने थे</td><td>11 केवी फीडर जिनमें मार्च 2012 तक मीटर लगाये जा चुके हैं</td><td>प्रतिशतता</td></tr>
<tr><td>जेवीवीएनएल</td><td>4807</td><td>4235</td><td>88.10</td></tr>
<tr><td>एवीवीएनएल</td><td>5529</td><td>4741</td><td>85.74</td></tr>
<tr><td>जेडीवीवीएनएल</td><td>6244</td><td>5353</td><td>85.73</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सभी गाँवों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण</td><td>2005 तक 41353 गाँव</td><td colspan="5">39846 गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था (2001 की जनगणना के अनुसार) जो की 96.36 प्रतिशत था</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>सभी उपभोक्ताओं के यहाँ 100 प्रतिशत मीटरिंग</td><td>30 जून 2002</td><td colspan="5">किसी भी श्रेणी में कोई कनेक्शन मीटर के बिना नहीं दिया जा रहा है। सभी फ्लेट रेट कृषि कनेक्शनों को मीटरयुक्त श्रेणी में परिवर्तित किया जा रहा है। ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में 235456 फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं को मीटरयुक्त श्रेणी में परिवर्तित किया जा चुका है।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="6">राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी)</td></tr>
<tr><td></td><td>(1) एसईआरसी की स्थापना</td><td>-</td><td colspan="5">जनवरी 2000 में एसईआरसी का गठन किया गया।</td></tr>
<tr><td></td><td>(2) एसईआरसी द्वारा वर्ष के दौरान जारी किये गये टैरिफ आदेशों को लागू करना</td><td>जनवरी 2005 के टैरिफ आदेश सितम्बर 2011 तक लागू थे एवं तत्पश्चात 8 सितम्बर 2011 को बढ़ी हुई टैरिफ के नये आदेश जारी हुये थे।</td><td colspan="5">जनवरी 2005 के टैरिफ आदेश को मई 2005 से लागू किया गया था क्योंकि राज्य सरकार ने जनवरी 2005 से अप्रैल 2005 की अवधि के लिये अर्थ-साहाय्य प्रदान किया। यह आदेश सितम्बर 2011 तक लागू थे। तत्पश्चात 8 सितम्बर 2011 को जारी टैरिफ आदेश अक्टूबर 2011 से लागू था।</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">सामान्य</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>एमओयू की निगरानी</td><td>निगरानी त्रेमासिक आधार पर की जानी थी।</td><td colspan="5">जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एसई (योजना) द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है। अंतिम प्रतिवेदन मार्च 2012 में प्रेषित किया गया था।</td></tr>
</table>